

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन: 61833-837

अक्टूबर
सितम्बर, 2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-विभाजन/पुर्नगठन: 59916-919 दिनांक 17.9.2020 के अन्तर्गत, जिला कांगडा की ग्राम सभा कोना, विकास सुलह के क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त कांगडा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त जिला कांगडा की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला कांगडा की ग्राम सभा कोना के क्षेत्रों के विभाजन, पुर्नगठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगडा के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा (3-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में शेष ग्रामों के नाम जो वर्तमान ग्राम सभा में ही रहेंगे।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	विकास खण्ड सुलह					
	कौना	1 अन्द्रोली 2 सोहत्रलाहड़ 3 धम्मनलाहड़ 4 डुगलेहड़ 5 कौना 6 टम्बर 7 उमरी 8 मंलाधर 9 सरघूणी 10 घरथूं	धम्मणलाहड़	1 अन्द्रोली 2 सोहत्रलाहड़ 3 धम्मनलाहड़ 4 डुगलेहड़ 5 मंलाधर 6 सरघूणी 7 ढोहरलाहड़ 8 गटियाडलाहड़	1 टम्बर 2 कौना 3 उमरी 4 घरथूं	

	11 ढोहरलाहड़				
	12 गठियाडलाहड़				

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ० संख्या: उपरोक्त- 61833-837 दिनांक

03 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. उपायुक्त कांगडा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. जिला पचांयत अधिकारी कांगडा, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश।
4. खण्ड विकास अधिकारी सुलह, जिला कांगडा
5. सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचांयत जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।

संयुक्त सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।